न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 15/18 (RCMS No.2018/00018) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. पुखराज पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील स0मा0
2. राजेश पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शिवचरण पुत्र नानगा जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर
2. जगदीश पुत्र अर्जुन मीना निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूँगर
3. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरक्ति जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 25.01.2018 बाबत् नामा0 सं0 2512 दिनांक 05.08.89 ग्राम सूरवाल तहसील स0मा0

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री पारसमल जैन वकील रैस्पो0 सं0 1 व 2

नि र्ण य दिनांकः—31.10.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 25.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 910मिन रकबा 3 बीघा 13 विस्वा वॉके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर का नामान्तरकरण सं0 2512 बिक्रय पत्र 18.07.89 के आधार पर शिवचरण पुत्र नानगा के स्थान पर जगदीश पुत्र अर्जुन जाति मीना के नाम पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 05.08.89 को दर्ज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के

आधार पर दर्ज नामा0 को सही मानते हुऐ अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। उक्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के बाबा नानगा के नाम दर्ज रही है। रैस्पो0 सं0 1 शिवचरण ने रैस्पो0 सं0 2 जगदीश के पक्ष में एक विक्रय पत्र दिनांक 18.07.89 को तस्दीक कराकर नामा0 दिनांक 05.08.89 को विधि विरूद्ध तस्दीक करा लिया था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने मौके पर कब्जे की राजस्व रिकार्ड की कोई जांच नही की है। ख0 नं0 910 पैत्रिक भूमि है जिस पर अपीलान्ट के हक निहित है। रैस्पो0 नं0 1 को पैत्रिक भूमि को बिक्रय करने का कोई कानूनी हक नही है। विवादित आराजी ग्राम सूरवाल की है। पटवारी हल्का को नामा0 ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिये था। यदि 45 दिवस में ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 तस्दीक नही किया जाता तो उसके बाद ही तहसीलदार के समक्ष पेश किया जा सकता था। अपीलाधीन नामा0 अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिये वह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसे विधि विरूद्ध आदेशों को कभी भी चेलेन्ज कर निरस्त कराया जा सकता है। अपने पक्ष के समर्थन में 1989 आरआरडी 45 उदृत की। उनका तर्क है कि नामा0 में वर्णित आराजी के संबंध में पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन रहे हैं तथा उक्त कार्यवाही दौरान वाद ही की गयी है। धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत डाक्टरीन आफ लिस पेण्डीस सिद्धांत के अनुसार उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के मुकाबले बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय की कोई विवेचना अपने निर्णय में नही की है। अतः अपील स्वीकार कर अीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.18 एवं नामा0 सं0 2512 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी को रैस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। वयनामा रजिस्टर्ड है। जिसे आज तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया है। वयनामा का आज भी वही बजूद है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट शिवचरन के पुत्र है। रैस्पो0 सं0 1 शिवचरन ने ही अपने वेटों से अपील पेश करायी थी। शिवचरन के मन में बद्ध्यान्ती आ गयी है जिसके कारण उन्होंने उक्त विवाद पैदा किया है। जब तक वयनामा सिविल न्यायालय से निरस्त नही कराया जाता, तब तक वयनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है। जिससे अधिकार तय नही होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने शपथ पत्र में अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी का बिक्रय अपीलान्ट के जन्म से पूर्व ही हो चुका था। अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिन पर उत्तराधिकार कानून लागू नही होता है। नामा0 रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है, जो सही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 910 मिन रकवा 3 बीघा 13 विस्वा वॉके ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर का बेचान शिवचरण पुत्र नानगा मीना खातेदार द्वारा जगदीश पुत्र अर्जुन जाति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मीना को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 18.07.89 को दिया गया है जिसका नामान्तरकरण सं0 2512, भू प्रबन्ध संक्रियाऐं चलने से, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 05.08.89 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण भरने व तस्दीक करने में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आती है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमें अपीलान्ट के हक निहित हैं। अपीलान्ट का यह कथन नामान्तरकरण की अपील में किया जाना उचित नही है। क्योंकि पैत्रिक आराजी के संबंध में नामान्तरकरण के जरिये विवाद हल नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिससे पक्षकरों के हकूकों व अधिकारों को तय नही किया जा सकता है। यदि अपीलान्ट को विवादित आराजी के संबंध में कोई आपत्ती है या विवादित आराजी पैत्रिक है या वविादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हक निहित है, तो वह सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर अपने हक तय करा सकते है। नामा0 की कार्यवाही में उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण को सही मानने में किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण आदेश व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.1989 एवं 25.01.2018 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official